<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032024-252989 CG-DL-E-14032024-252989

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180] No. 180]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14, 2024/फाल्गुन 24, 1945 NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2024/PHALGUNA 24, 1945

# गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2024

सा.का.िन. 193(अ).—केंद्रीय सरकार, जो कि समुचित सरकार है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79 की उपधारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय की एजेंसी का समुचित सरकार के रूप में प्रतिनिधित्व करने, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए और मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित कंप्यूटर संसाधन में विद्यमान या उससे सम्बद्ध ऐसी सूचना, डाटा संसूचना संपर्क के दृष्टांतों को अधिसूचित करने के लिए, जिनका उपयोग विधि विरुद्ध कार्य के लिए किया जा रहा है, गृह मंत्रालय का अभिकरण अभिहित करती है।

[फा. सं. 22003/21/2019-I4C] आशीष कुमार, संयुक्त सचिव

1913 GI/2024 (1)

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th March, 2024

**G.S.R. 193(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 79 of the Information Technology Act 2000, Central Government being the appropriate government hereby designate the Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C), to be the agency of the Ministry of Home Affairs to perform the functions under clause (b) of sub-section (3) of section 79 of Information Technology Act, 2000 and to notify the instances of information, data or communication link residing in or connected to a computer resource controlled by the intermediary being used to commit the unlawful act.

[F. No. 22003/21/2019-I4C]

ASHISH KUMAR, Jt. Secy.